

प्रति
23/1/16

23-1-6 / 2016/14-1

संख्या प्रदेन जावन
कृषि विभाग - 23-1-16
कृषि कमांक 214
दिनांक 23-1-16

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./194

विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0 7488/2015 (एस) द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत ।

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा द्वारा याचिका कमांक डब्ल्यूपी. 7488/2015 (एस) द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य दायर की गई है।

अतः याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0 7488/2015 (एस) में प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर को नियुक्त किये जाने हेतु याचिका की प्रति एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की 10 प्रतियां संलग्न प्रेषित है ।

कृपया प्रकरण में शासन पक्ष एवं समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति उपरान्त नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे ।

अपर संचालक(स्था0)

अवर सचिव,
म0प्र0 शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

23.1.16

भा.क.-37
22-1-16

2

अ. 11-6 (2016/14-1)

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./194

विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 7488/2015 (एस) द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत ।

श्री. प्रभारी -

कृषि उपर संचालक (स्थापना) किसान कल्याण तथा कृषि विकास से उक्त विषयान्तर्गत प्रर्व प्रत्यक्ष में प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन करें। जिसमें प्रभारी अधिकारी उप संचालक कार्यालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला से प्रकलित को मिश्रित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

तदनुसार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अ. अ. अ. अ.

अ. अनुमोदनार्थ ।

29/11/16
अ. अ. अ. अ.
30/1/16

DS (G)

अ. अनुमोदनार्थ ।

अ. अ. अ. अ.
6/1/16

प्रमुख सचिव

अ. यथाप्रस्तावित ।

DS (G)

अ. अ. अ. अ.
8/1/16

DS (G)

अ. अ. अ. अ.
7/2/16

अ. अ. अ. अ.
10/2/16

श्री. अ. अ. अ. अ.
10/2/16

अप. 11-6 (2016/14-)

(3)

छब्योस-२ सचिवालय

विषय: ~~आपका क्रमांक 3488/15 (एक) शाखा~~ मंत्री: दधि
सी अनिल कुमार सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य का विभाग

प्रर्व हस्त ले:

दि.
10/2/16

~~हपरा स्वच्छ प्रतिमां ललाइराध उरतुन है~~

~~अनु. इति~~

~~10/2/16~~

~~DS (9)~~

आवर सचिव के हस्तक्षेप से जारी हो।

Shukh
29/2/16.

~~US (एक)~~

~~504~~

Amal
29/2/16
~~29/2/16~~

~~हपरा उरत मिडेतानुसार स्वच्छ~~

~~प्रतिमां ललाइराध उरतुन है~~

~~11/3/16~~

~~अनु. इति~~

~~44~~

Amal
01/03/16
~~01/03/16~~

~~50-1~~

क्रमांक 481-82 / 20 / 14-1

मोहर दिनांक 02.03.16

405/16
29/2/16

दि.
11/3/16

अनिल सिंह
11/3/16

4

शुक्र. 11-6/16/14-1

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- भारतीय कृषि ऋण मु. पी. 7488/15 (एन) १२५
ती अगिल हुमाट गिंर कुशबता बिस्व म-५
शासन एवं अन्य।

मंत्री: हरि
का विभाग

No. 271-AM/PS/FWAD
Date: 4/3/16

शुक्र. 11-6/16/14-1

प्रभारी अधिकारी के निम्नलिखित के आदेश
जारी कर दिये गये हैं। प्रतिरक्षण आदेश जारी किये
जाने के संबंध में कृपया विधि विभाग को
अंकित करना चाहें।

P-30/C

AM
3/3/16

अनु. अधि.

2/3/2016

उप सचिव:

Amr
2/3/16

प्रतिरक्षण आदेश हेतु
विधि विभाग को अंकित
करना चाहें।

प्रमुख सचिव

Subti
3/3/16

प्रतिरक्षण आदेश हेतु नती अंकित।

प्रमुख सचिव (विधि)

(डॉ. सज्जद हसन)
प्रमुख सचिव

किसान शासन तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

473/15
3/3/16

11/54

10-54

29
27/11/15
27/11/15
27/11/15
8
11

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
GWALIOR**

Process Id: 34130/2015

WP/7488/2015

बिना प्रवेश बिना
कृति बिना (बिना-2)

पंजी 3477

दिनांक 01-12-15

**FOR ADMISSION
Fixed for 14-12-2015**

DA- 07

Respondent No. 1

RAD

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

To,

The State of Madhya Pradesh Thr,
Its Secretary, Department of Agriculture,
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 18-11-2015

51
Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 7488/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Anil Kumar Singh Kushwah** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/7488/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **14-12-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

19-11-15
SECTION OFFICER

Section Officer

High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

क्रमांक/एफ-11/6/2016/14-1

भोपाल, दिनांक :- 02.3/6

//आदेश//

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर (पक्षकारों के नाम श्री अनिल कुमार सिंह कुशवाहा) विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 7488/2015 (एस) में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
- (6) शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
- (7) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।

(8) मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

(9) जब भी कोई आदेश/निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।

(10) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।

(11) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

(12) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।


(13) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा, तथा इस बाबत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये।

(14) प्रभारी अधिकारी, नाम दिनोंक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

/ 3 /

- (15) प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अवर सचिव)


मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा
कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक :- 02.3.14

पृ० क्रमांक / एफ-11 / 6 / 2016 / 14-1

प्रतिलिपि:-

- 1 महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर म.प्र।
- 2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 3 संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल।
- 4 संबंधित जिलाध्यक्ष, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 5 संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 6 उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित करेगा। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।
- 7 आदेश नरती।


(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा
विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

कार/१०

B.